

**न्यायालय:श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

वि.आप.प्रक.क्रमांक-17 / 2013

संस्थित दिनांक-31.01.2013

फाइलिंग नम्बर-234503004662013

1-श्रीमती हेमा पति मोहित, उम्र-21 वर्ष,
निवासी-ग्राम बोरी, पुलिस चौकी सालेटेकरी,
थाना बिरसा, जिला बालाघाट म.प्र.

2-कुमारी अंजली पिता मोहित, उम्र-1 वर्ष,
नाबालिग वली माँ श्रीमती हेमा पति मोहित,
निवासी-ग्राम बोरी, पुलिस चौकी सालेटेकरी,
थाना बिरसा, जिला बालाघाट म.प्र.

----- **आवेदिकागण**

// **विरुद्ध** //

मोहित पिता नैनू, उम्र-20 वर्ष, जाति तेली,
निवासी-ग्राम बोरी, पुलिस चौकी सालेटेकरी,
थाना बिरसा, जिला बालाघाट म.प्र.

----- **अनावेदक**

// **आदेश** //

(आज दिनांक-30 / 07 / 2016 को पारित)

1- इस आदेश द्वारा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-125 दण्ड प्रक्रिया संहिता वास्ते भरण-पोषण राशि दिलाये जाने बाबद् का निराकरण किया जा रहा है।

2- प्रकरण में यह स्वीकृत है कि आवेदिका, अनावेदक की वैध विवाहिता पत्नी है।

3- आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका का विवाह अनावेदक मोहित से माह अप्रैल वर्ष 2011 में हुआ था। आवेदिका तथा अनावेदक को एक पुत्री आवेदिका क्रमांक-2 का जन्म, विवाह के एक वर्ष पश्चात् हुआ था। आवेदिका की पुत्री के जन्म के बाद से अनावेदक के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा और वह घरेलु बातों को लेकर अक्सर आवेदिका से विवाद करने लगा। अनावेदक, आवेदिका को दहेज का सामान के रूप में टी.व्ही., पलंग, मोटरसाईकिल देने के लिए उसे ताने देता रहता था। माह नवम्बर वर्ष 2012 में अनावेदक व उसके परिवार के लोगों ने आवेदिका के साथ मारपीट

की और उसे घर से बाहर निकाल दिया था। अनावेदक द्वारा आवेदिका को घर से निकाल दिए जाने पर आवेदिका अपने मायके चले गई और वहां पंचायत में अनावेदक को समझाईश दी गई, तब अनावेदक ने आवेदिका को अपने घर लाकर साथ में रखा। माह जनवरी 2013 में अनावेदक ने आवेदिका को मारपीट कर और जान से मारने की धमकी देकर घर से निकाल दिया। आवेदिका ने दिनांक-27.01.2013 को घटना के संबंध में पुलिस चौकी सालेटेकरी, थाना बिरसा में रिपोर्ट दर्ज कराई। अनावेदक ने इसके पश्चात् आवेदिका अथवा उसकी पुत्री की कोई खोज-खबर नहीं ली। आवेदिका स्वयं का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है। वह उधार लेकर स्वयं अपना व अपनी पुत्री का भरण-पोषण कर रही है। अनावेदक के पास 8 एकड़ भूमि ग्राम बोरी, तहसील बिरसा में है, जिससे अनावेदक को सालाना 1,50,000/-रुपये की आय प्राप्त होती है तथा उसे दैनिक मजदूरी में भी आमदनी होती है। आवेदिका को स्वयं का भरण-पोषण के लिए 3,000/-रुपये तथा अपनी पुत्री के भरण-पोषण के लिए 2,000/-रुपये, इस प्रकार कुल 5,000/-रुपये भरण-पोषण राशि दिलाई जावे।

4- अनावेदक द्वारा आवेदन पत्र का विरोध कर अपने जवाब में कहा गया है कि अनावेदक ने आवेदिका से दहेज की मांग नहीं की और न ही आवेदिका के साथ मारपीट कर उसे प्रताड़ित किया। आवेदिका द्वारा न्यायालय को भ्रमित करने के आशय से झूठा अभिवचन किया गया है। अनावेदक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जबकि आवेदिका का अनावेदक से विवाह होने से वह पूर्व ग्राम बोरी निवासी संतोष से विवाह हुआ था। फरवरी वर्ष 2011 में आवेदिका ने अनावेदक के अशिक्षित होने से अपने पूर्व विवाह के तथ्यों को छुपाकर, अनावेदक की जानकारी के बिना अनावेदक को बहला-फुसलाकर उसके साथ रायपुर चले गई थी और उसके पश्चात् आवेदिका के गर्भवती होने से अनावेदक के माता-पिता ने अनावेदक का विवाह आवेदिका से करवा दिया। आवेदिका मात्र 10-15 दिन अनावेदक के साथ रही और इसके पश्चात् अनावेदक के साथ औरंगाबाद चले गई। इसके पश्चात् अनावेदक और आवेदिका भण्डारा काम करने के लिए साथ में गए थे। वर्तमान में आवेदिका अपनी ईच्छानुसार मायके में रहती है। अनावेदक ने आवेदिका को उसके साथ रहने के लिए कहा, परंतु उसने इस बात से इंकार कर दिया। जनवरी 2013 में आवेदिका ने पुलिस थाना बैहर में अनावेदक व उसके परिवार के लोगो के विरुद्ध रिपोर्ट की थी, परंतु जांच में वह रिपोर्ट झूठी पाई गई। आवेदिका क्रमांक-1 बिना किसी पर्याप्त कारण से अनावेदक से पृथक निवास कर रही है। ऐसी स्थिति में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-125 के प्रावधानों के अनुसार भरण-पोषण की राशि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अनावेदक की स्वयं की कोई कृषि भूमि नहीं है। अनावेदक अपने पिता का कृषि कार्य में सहायता करता है, जबकि आवेदिका मजदूरी का कार्य कर स्वयं अपना भरण-पोषण करने में समर्थ

है। अनावेदक के पिता को लगभग 48-50 हजार रुपये की सालाना आय होती है, जिसमें किसी तरह अनावेदक व उसके माता-पिता भरण-पोषण कर पाते हैं। उपरोक्त स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जावे।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु है कि :-

1. क्या आवेदिका युक्तियुक्त कारणों से अनावेदक से पृथक रह रही है ?
2. क्या आवेदिका स्वयं अपना एवं अपनी पुत्री का भरण-पोषण करने में असमर्थ है ?
3. क्या अनावेदक, आवेदिका तथा उसकी पुत्री का भरण पोषण हेतु दायित्वाधीन है ?

विचारणीय बिन्दु कं.-1 का सकारण निष्कर्ष :-

6- आवेदिका श्रीमती हेमा (आ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में यह कहा है कि अनावेदक उसका पति है और आवेदिका क्रमांक-2 उसकी पुत्री है। आवेदिका का विवाह वर्ष 2011 में हुआ था और उसकी पुत्री के जन्म के 2-3 माह पश्चात् अनावेदक ने उसे दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अनावेदक उसे टी.व्ही, पलंग, मोटरसाईकिल दिए जाने की मांग करने लगा। आवेदिका ने यह जानकारी अपने माता-पिता को दी तब पंचायत में समझाने बुझाने पर अनावेदक उसे अपने साथ ले गया, परंतु वहां भी अनावेदक ने उसे तरह-तरह से प्रताड़ित किया। अनावेदक उसे खाने-पीने नहीं देता था। उसने पुलिस चौकी सालेटेकरी में इस बात की रिपोर्ट की। इसके पश्चात् वह अपने मायके में रहने लगी और अनावेदक उसे अपने साथ नहीं रखा। उसे प्रतिमाह भरण-पोषण हेतु 3,000/-रुपये की आवश्यकता होती है और उसकी पुत्री के भरण-पोषण करने के लिए प्रतिमाह 2,000/-रुपये की आवश्यकता होती है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने सालेटेकरी में दहेज की मांग की जो शिकायत लेख कराई थी, उसमें अनावेदक के माता-पिता का नाम लेख नहीं कराया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह भी कहा है कि अनावेदक के पास 8 एकड़ जमीन होने वाली बात के संबंध में बताया गया है, वह भूमि उसके ससुर की भूमि है। साक्षी ने स्वीकार किया कि अनावेदक द्वारा बालाघाट न्यायालय में उसे अपने साथ में रखने बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि उसने उक्त प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। आवेदिका के कथनों का समर्थन फन्दीलाल (आ.सा.2) ने भी किया है और कहा है कि अनावेदक ने मारपीट कर आवेदिका को घर से भगा दिया था। इस बात की जानकारी आवेदिका ने उसे दी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि जैसा उसे आवेदिका ने बताया था, वैसा ही बयान वह दे रहा है।

7— प्रकरण में अनावेदक को साक्ष्य हेतु अनेक अवसर दिया जाने पर भी उसके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेख पर आवेदिका द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आवेदिका के साथ मारपीट किये जाने से वह अनावेदक से पृथक निवास कर रही है। इस बात का समर्थन साक्षी फन्दीलाल आ.सा.2 ने भी अपने न्यायालयीन परीक्षण में किया है कि आवेदिका ने पुलिस चौकी सालेटेकरी में अनावेदक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके विषय में अनावेदक पक्ष द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षण भी किया गया है, जिससे यह धारणा की जा सकती है कि आवेदिका ने अनावेदक से विवाद होने पर अनावेदक के विरुद्ध पुलिस चौकी सालेटेकरी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मारपीट कर प्रताड़ित कर घर से निकाले जाने से आवेदिका का पृथक निवास किया जाना युक्तियुक्त माना जावेगा, इसलिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 का निष्कर्ष प्रमाणित माना जावेगा।

विचारणीय बिन्दु कं.-2 व 3 का निष्कर्ष :-

8— आवेदिका का यह कहना है कि वह अपना तथा अपनी पुत्री का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है। वर्तमान में वह अपने मायके में रह रही है और उसे भरण-पोषण की समस्या हो गई है। अनावेदक का यह कहना है कि आवेदिका शारीरिक रूप से हस्त-पुष्ट महिला है और वह स्वयं का भरण-पोषण करने में सक्षम है, जबकि वह स्वयं अपने पिता पर आश्रित है और अपने पिता की खेती में मदद करता है। अनावेदक द्वारा ऐसी कोई भी साक्ष्य अभिलेख में प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह दर्शित हो कि आवेदिका स्वयं का भरण-पोषण करने में सक्षम हो। आवेदिका की पुत्री आवेदिका के साथ ही रहती है, यह बात अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से सिद्ध हो रही है। ऐसी स्थिति में आवेदिका को अपनी पुत्री के भरण-पोषण का दायित्व भी है, जबकि वह स्वयं अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है। आवेदिका, अनावेदक की वैध विवाहित पत्नी है, यह बात अनावेदक ने स्वीकार की है। अनावेदक किसी बीमारी से ग्रसित होकर शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, यह बात अभिलेख से प्रकट नहीं हो रही है, इसलिए अनावेदक आवेदिका के भरण-पोषण हेतु दायित्वाधीन माना जावेगा। उपरोक्त स्थिति में विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2 का निष्कर्ष प्रमाणित में किया जाता है।

9— विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 के निष्कर्ष में यह प्रमाणित पाया गया है कि आवेदिका, अनावेदक से युक्तियुक्त कारण से पृथक निवास कर रही है। यह भी प्रमाणित पाया गया है कि आवेदिका स्वयं का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है एवं अनावेदक, आवेदिका और उसकी एवं पुत्री का भरण-पोषण करने के लिए दायित्वाधीन है। अनावेदक की आय के विषय में कोई दस्तावेज अथवा अन्य साक्ष्य जिससे की अनावेदक की आय की

धारणा की जा सके, आवेदिका द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। इसलिए वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आवेदिका को भरण-पोषण के लिए 1000/-रुपये तथा उसकी पुत्री के लिए 500/-रुपये प्रति माह, इस प्रकार कुल 1500/-रुपये की राशि दिलाया जाना उचित होगा।

10- आवेदिका का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। अनावेदक आवेदिका को भरण-पोषण हेतु प्रतिमाह 1000/-रुपये व उसकी पुत्री के भरण-पोषण हेतु 500/-रुपये की राशि, इस प्रकार कुल 1500/-रुपये की राशि का भुगतान करेगा। यह राशि अनावेदक, आवेदिकागण को प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख के बीच में भुगतान करेगा।

11- आवेदिका को आदेश की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

आदेश खुले न्यायालय में पारित कर
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

सही/-

दिनांक-30.07.2016

(श्रीष कौलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, बालाघाट म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)